प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 98 / 2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Dilip Singh Sisodiya Add. 19 Surji ka guda, P.O. Jawad, Tehsil-Mavli, Udaipur
..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर
..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 27/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329203848743120 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायीं जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1399842843 दिनांक 02.08.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 98 / 24 / 948–49 दिनांक 02.08.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा तहसीलदार झाडोल को पत्र प्रेषित करते हुए कार्यालय को अवगत करवाया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार झाडोल को जरिये पत्रांक 1859–61 दिनांक 13.08.24 से अंतरित किया गया।

तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक: भू.अ. / 2024 / 2322 दिनांक 27.08.2024 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित आवेदन पत्र तहसीलदार गिर्वा के मार्फत दिनांक 23.08.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र के द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में संलग्न पत्र अनुसार जरिये मेल dilipsinghsurjikaguda@gmail.com पर उपलब्ध कर करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2024 को तहसीलदार कार्यालय गिर्वा में ऑनलाईन आवेदन किया गया था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार झाडोल से संबंधित होने से तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने पत्रांक 1859–61 दिनांक 13.08.24 से तहसीलदार झाडोल को अंतरित किया गया। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी के ई–मेल dilipsinghsurjikaguda@gmail.com से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा / झाडोल एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर